मंजूर बनाम सरकार

30.03.22

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् उपस्थित। पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत हुई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलांट् को उसकी भूमि की एवज में लोक अदालत की भावना से अन्य भूमि आवंटन की कार्यवाही कर दी गई है। इस कारण अपीलांट् अब अपनी अपील आगे चलाना नहीं चाहते है। अपीलांट् अपील इसी स्टेज पर विड्रा करना चाहते है। अतः अपील इसी स्टेज पर जरिये विड्रावल निर्णित करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 19–02–1992 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा अब अपीलांट् इस आधार पर अपील विड्रा करना चाहते है कि उन्हें उनकी भूमि की एवज में अन्य भूमि के आवंटन की कार्यवाही कर दी गई है। प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट् स्वयं ही व्यथित थे व अब वे ही उक्त आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील को अन्य भूमि प्राप्त होने के आधार पर विड्रा करना चाहते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त आगामी कार्यवाही से अपीलांट स्वयं बाधित है तथा भविष्य में अपीलांट अपने लिखित अभिकथनों से अर्थात रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेंगें। लिहाजा अपीलांट् की अपील जरिये विड्रावल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद [illegible] व तक्मील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:57:44 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर